न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/168

1. सुगन चन्द आयु 47 वर्ष आत्मज स्व0 श्री घासी लाल जी जाति खाती निवासी ग्र
नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मोहन लाल आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 श्री घांसी लाल जाति खाती निवासी नमा
तहसील एवं जिला बून्दी ।

----अपीला

बनाम

1. भंवर लाल आयु 38 वर्ष आत्मज स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवासी ग्र
नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. प्रमोद आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवासी नमा
तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री सोभाग बिहारी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति जांगि
निवासी बावडी के पास गॉव छत्रपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कुसुमलता पुत्री स्व0 श्री सोभाग बिहारी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति जांगि
निवासी अशोक फैक्ट्री के पास बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. अयोध्या आयु 60 वर्ष विधवा स्व0 श्री सोभाग बिहारी जाति जांगिड निवासी नमा
तहसील एवं जिला बून्दी ।

----रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक: 28.06.201

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायाल
उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 के विरूद्ध पेश
गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम नामाना तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पश्चिम उत्तर की 05 बिस्वा भूमि पर जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है और निर्माण कराना चाहते हैं । अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा के उत्तर पश्चिम की 05 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे और न ही कोई निर्माण कार्य करे । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1766/533 की पूर्वी उत्तरी कौने पर अनाधिकृत रूप से निर्मित दुकानों पर और दुकानों के उपर किसी प्रका का कोई निर्माण कार्य नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.05.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना प स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारि किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2013 से व्यथित हो अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीन न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण के खाते कब्जे की मानने में एवं खसरा नम्बर 1766/533 रकबा 01 बिस्वा को भी कृषि भूमि मानने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 1766/ पर अपीलान्ट के द्वारा निर्माण किया हुआ होना अंकित किया है एवं विधिक अधिकार के सम में निर्णय वाद के निर्णय में होना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलान्ट पाबन्द कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दो और निवेदन किया कि वादी के द्वारा एक दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश गया था जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्य ने त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपीलान्ट अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया । अ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण के कब्जे की मानने में एवं खसरा नम्बर 1766/533 रकबा 01 बिस्वा को भी कृषि भूमि म त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 176

पर अपीलान्ट के द्वारा निर्माण किया हुआ होना अंकित किया है एवं विधिक अधिकार के सम्बन्ध में निर्णय वाद के निर्णय में होना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलान्ट को पाबन्द कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी निर्धारण नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1965 पेज 227, आरआरडी 1978 पेज 217, आरआरडी 1963 पेज 251 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के तन्हा खाते की है पैतृक सम्पत्ति नहीं है, रेस्पोडेन्ट की आवंटनशुदा आराजी है जिस पर अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 1766/533 रकबा 01 बिस्वा भूमि शोभाग जी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के नाम तन्हा रूप से खातेदारी में दर्ज हुई है । इस प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 उक्त भूमि के तन्हा खातेदार हैं ।

10. पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही होगा । इस स्टेज पर नहीं । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 के तन्हा खाते में है । रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा